न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 27/2019

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी)लवाण जिला दौसा

बनाम

1. गोमती पत्नि रामकिशन जाति खारवाल निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा।

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी बहस के दौरान अनुपस्थित।

:–निर्णय:–

दिनांकः 02.08.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई । अप्रार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बहस के दौरान अप्रार्थी उपस्थित नही हुई। अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि एकीकरण संवत 2018 में ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1071 रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–60 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा से खसरा नम्बर 4821 रकबा 0.38 है., 4822 रकबा 0.29 है. बने, जिसमे से खसरा नम्बर 4821 रकबा 0.38 है. एवं खसरा नम्बर 4822 रकबा 0.29 में से 0.19 है. आंवटन होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 475 दिनांक 17.06.2002 खसरा नम्बर 4821 रकबा 0.38 है. व खसरा नम्बर 4822/1 रकबा 0.19 है. कुल किता 2 रकबा 0.57 है. भूमि अप्रार्थी गोमती पत्नि रामकिशन जाति खारवाल के नाम गैर खातेदार दर्ज हुई। जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज [illegible]। इस प्रकार अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज [illegible] रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका [illegible]536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम लवाण तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 1071 रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2018 में गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड थी। आवंटन कमेटी की सिफारिश पर हाल खसरा नम्बर 4821 रकबा 0.38 है. एवं खसरा नम्बर 4822 रकबा 0.19 है. कुल किता 2 रकबा 0.57 है. का आवंटन आदेश दिनांक 17.06.2002 द्वारा अप्रार्थी गोमती पत्नि रामकिशन जाति खारवाल निवासी लवाण के नाम कर दिया। उक्त आवंटित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 475 दिनांक 17.06.2002 से अप्रार्थी गोमती पत्नि रामकिशन जाति खारवाल निवासी लवाण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करावे एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:33 IST
Reason: SelfAttested